

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संचिका सं०:—08/अप्र०—14—13/2024 8356 पटना, दिनांक— 1-8-25

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।— (i) यह नियमावली, “ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।— इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(i) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;

(ii) “विभाग” से अभिप्रेत है, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार;

(iii) “संवर्ग” से अभिप्रेत है, ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग;

(iv) “आयोग” से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा हेतु प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार;

(v) “सदस्य” से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति जिसमें नियत तिथि के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(vi) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना;

(vii) “संवर्ग नियंत्री प्राधिकार” से अभिप्रेत है, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना;

(viii) “नियत तिथि” से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;

(ix) “विभागीय प्रोन्नति समिति” से अभिप्रेत है, इस संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति की अनुशंसा करने हेतु विभाग द्वारा गठित समिति।

3. संवर्ग की संरचना ।— (i) ग्रामीण कार्य विभाग, प्रयोगशाला संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नवत होगी —

क्र०सं०	पद/कोटि का नाम	पद की प्रस्थिति/स्तर
1	प्रयोगशाला सहायक	मूल
2	शोध सहायक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	सहायक शोध पदाधिकारी	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(ii) यह एक अराजपत्रित संवर्ग होगा, जो विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तरीय होगा।

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वहीं होगा, जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(iv) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों को वहीं वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा, जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. भर्ती ।—(i) इस संवर्ग में मूल कोटि अर्थात् प्रयोगशाला सहायक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जा सकेगी। मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति या अनुकम्पा के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।

(ii) प्रयोगशाला सहायक के पदों को सीधी भर्ती से आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर भरा जाएगा।

(iii) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 01ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना की जाएगी एवं तदनुसार आरक्षण कोटिवार अधियाचना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आयोग को भेजी जायेगी। अधियाचना के आधार पर आयोग समय-समय पर, उस रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति से भरने के लिए विज्ञापित करेगा।

(iv) आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों का चयन कर नियुक्ति प्राधिकार को आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में नियुक्ति के योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगा। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया से की जाएगी। आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

5. नियुक्ति हेतु अहर्ता ।— इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अहर्ता निम्नवत होगी :—

(i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

(ii) इस संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में इन्टरमीडिएट या 10+2 (रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान एवं गणित के साथ) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(iii) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु, जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित किया गया हो, उस वर्ष के 01 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। तथा अधिकतम उम्र वही होगा, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

6. आरक्षण।— इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

7. परिवीक्षा अवधि।— सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी पद ग्रहण की तिथि से 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8. प्रशिक्षण।— राज्य सरकार की सामान्य नीतियों के अनुरूप विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संसूचित निर्णय के अनुरूप कर्मियों को निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कोई परीक्षा नियत की जाती है, तो उसमें भी उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

9. विभागीय परीक्षा।— (i) राज्य सरकार की सामान्य नीतियों के अनुरूप विभाग की सहमति से विभागीय परीक्षा/व्यवसायिक परीक्षा एवं पाठ्यक्रम नियत किया जा सकेगा।

(ii) मौलिक पद पर नियुक्त कर्मी को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा/व्यवसायिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

10. सेवा सम्पुष्टि।— सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी की सेवा सम्पुष्टि हेतु निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा :—

- (i) परिवीक्षा अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो;
- (ii) निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूर्ण हो;
- (iii) मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हो;
- (iv) राज्य सरकार/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्युटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हो;
- (v) विहित विभागीय परीक्षा/व्यवसायिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हो।

11. वरीयता।— आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार प्रयोगशाला सहायक के पद पर वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। वरीयता के निर्धारण में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर यथा नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

12. प्रकीर्ण/स्थापना संबंधी विषयों पर नियंत्रण।— इस संवर्ग के कर्मियों का नियुक्ति, पदस्थापन, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण, प्रोन्नति एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य/विषय विभाग के अधीन होगा। परन्तु सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके सेवांत लाभ आदि का भुगतान सेवानिवृत्ति के कार्यालय से किया जायेगा।

13. प्रोन्नति।— (i) इस संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जाएगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु आरक्षण, कालावधि आदि से संबंधित राज्य सरकार/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

14. अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।— बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग के कर्मियों पर लागू होंगे।

15. अवशिष्ट मामले।— (i) राज्य सरकार के अन्य कर्मियों पर लागू सेवा शर्तें, छुट्टी, सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन आदि के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, आदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के कर्मियों पर भी लागू होंगे।

(ii) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत नियमों/निर्णयों से शासित होगी।

(iii) यदि इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में कोई कठिनाई हो, तो विभाग यथास्थिति सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर ऐसी कठिनाईयों का निराकरण कर सकेगा।

16. शिथिलीकरण की शक्ति।— जहाँ राज्य सरकार/विभाग की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस संवर्ग के किसी कर्मि अथवा कर्मियों के समूह के संबंध में इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से शिथिल किया जा सकेगा।

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—(i) इस संवर्ग के संदर्भ में पूर्व से निर्गत सभी आदेश, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत नियम/संकल्प/परिपत्र/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:—08/अप्रो-14-13/2024 8356 पटना, दिनांक— 1-8-25
का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर मुख्य सचिव

Bihar Government
Rural Works Department

Notification

File No. 08/E-in-C-14-13/2024 8356 Patna, Date- 1-8-25

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the process of recruitment to the posts of Rural Works Department Laboratory Cadre and their service conditions:-

1. **Short title, extent and commencement-** (i) These rules shall be called "Rural Works Department Laboratory Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2025".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or context-

(i) "State Government" means the State Government of Bihar;

(ii) "Department" means the Rural Works Department, Bihar,

(iii) "Cadre" means the Rural Works Department Laboratory Cadre:

(iv) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission or any other authority authorised by the Government of Bihar to recommend appointments;

(v) "Member" means any person appointed to the cadre and includes all persons appointed to the cadre prior to the commencement of these Rules;

(vi) 'Appointing Authority' means the Engineer-in-Chief, Rural Works Department, Bihar, Patna;

(vii) "Cadre Controlling Authority" means the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary;

(viii) "Appointed Date" means the date on which these rules come into force;

(ix) "Departmental Promotion Committee" means the Committee constituted by the Department to recommend promotions to the promotional posts of the cadre.

3. **Cadre Structure** (1) Cadre Structure of Rural Works Department, Laboratory Cadre shall be as follows :-

serial no.	Name of Post/Grade/Category	Position/level of post
1	Laboratory Assistant	Basic
2	Research Assistant	First Level of promotion
3	Assistant Research Officer	Second Level of promotion

(ii) This shall be a non-gazetted cadre at the State level under the Department.

(iii) The sanctioned strength of various categories of posts in this cadre shall be as determined by the State Government from time to time.

(iv) The pay scale/pay level for various categories of posts in this cadre shall be the same as determined by the State Government from time to time.

4. **Recruitment-** (i) In this cadre, appointment shall be made on the post of basic category i.e. Laboratory Assistant through direct recruitment. There shall be no entry on the post of basic category on the basis of promotion or compassionate ground.

(ii) The posts of Laboratory Assistant shall be filled by direct recruitment as per the recommendation list received on the basis of the results of the competitive examination held by the Commission for the purpose.

(iii) The Appointing Authority shall calculate the vacancies reservation category wise on the basis of the position of 01st April every year and accordingly the reservation category wise requisition shall be sent to the Commission through the General Administration Department in the manner prescribed by the State Government. On the basis of the requisition, the Commission shall, from time to time, advertise the reservation category wise vacancies of this cadre for filling up by direct recruitment as per the recruitment rules.

(iv) The Commission shall select successful candidates on the basis of competitive examination and recommend eligible candidates for appointment in merit order as per reservation category to the Appointing Authority. The candidates recommended by the commission shall be appointed as per the prescribed procedure. The validity of the merit list recommended by the Commission shall be one year with effect from the date of receipt of the recommendation.

5. **Eligibility for Appointment-** The eligibility for appointment in this cadre shall be as follows –

(i) The candidate must be an Indian citizen.

(ii) The minimum educational qualification for appointment to the post of Laboratory Assistant in this cadre is Intermediate in Science or 10+2 (with Chemistry, Physics and Mathematics) from a recognized Board.

(iii) The minimum age of a candidate for direct recruitment shall not be less than 18 years on 01 August of the year in which applications are invited. And the maximum age shall be the same as determined by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time.

6. **Reservation-** In direct recruitment to the basic category posts of this cadre, the provisions relating to reservation roster as determined from time to time by the General Administration Department, Government of Bihar, shall be applicable.

7. **Probation period-** Employees appointed through direct recruitment shall be on probation for 01 (one) year from the date of joining the post. If the service is not satisfactory during the probation period, it can be extended for 01 (one) more year. If the service is not satisfactory even during the extended period, the service can be terminated.

8. **Training-** In accordance with the general policies of the State Government, as per the decision notified by the department from time to time, it shall be compulsory for the employees to undergo the prescribed induction training and other professional training. If any examination is fixed by the training institute during the training period, then they shall have to pass that too.

9. **Departmental Examination-** (i) Departmental examination /professional examination and syllabus may be fixed with the consent of the department in accordance with the general policies of the State Government.

(ii) The employee appointed against substantive post shall have to pass the departmental examination/professional examination as prescribed.

10. **Service confirmation-** To confirm the service of an employee appointed through direct recruitment, it shall be necessary to fulfill the following conditions -

(i) His conduct and service during the probation period has been satisfactory,

(ii) The prescribed induction training has been completed,

(iii) He has passed the Hindi Noting and Drafting Examination conducted by the Cabinet Secretariat (Official Language) Department.

(iv) He has passed the Computer Proficiency Test conducted by the State Government/Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (BIPARD).

(v) He has passed the prescribed departmental examination /professional examination.

11. **Seniority-** The seniority for the post of laboratory assistant shall be determined by the department as per the merit order recommended by the commission. In determining the seniority, the principles and procedures as prescribed from time to time by the General Administration Department of the State Government shall be followed.

12. **Miscellaneous/control over establishment related matters-** Appointment, posting, service confirmation, maintenance of seniority list, promotion and all work/Subject related to establishment of the employees of this cadre shall be under the department. But after retirement, their retirement benefits etc. shall be paid from the office of retirement.

13. **Promotion-** (i) Promotion to higher category posts in this cadre shall be given on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of seniority-cum-merit.

(ii) The provisions issued from time to time by the State Government/General Administration Department regarding reservation, minimum period for promotion eligibility (Kalawadhi) etc. shall be followed.

(iii) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department for promotion.

14. Discipline, Control and Appeal- The Provisions of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable to the employees of the Rural Works Department Laboratory Assistant Cadre in matters of discipline, control and appeal.

15. Residuary matters- (i) All rules, orders etc. in force regarding service conditions, leave, assured financial progression etc. as applicable to other employees of the State Government shall also be equally applicable to the employees of this cadre.

(ii) Any Service conditions not specifically provided in these rules shall be governed by the Bihar Service Code and such rules/decisions as issued by the State Government in this regard from time to time.

(iii) If there is any difficulty in implementing any rule, Regulation the Department may resolve such difficulties after consulting the General Administration Department/Finance Department/Law Department, as the case may be.

16. Power to relax- Where the State Government/Department is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, for reasons to be recorded in writing, any of the provisions of these rules may be relaxed by the Department in consultation with the Law Department in respect of any employee or group of employees of this cadre.

17. Repeal and Saving- (i) All previously issued orders, circulars, office orders etc. in relation to this cadre are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of powers conferred by or under any rule/resolution/circular/order etc. issued earlier, shall be deemed to have been done or taken in exercise of powers conferred by or under these

rules as if these rules were in force on the date on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of
Bihar,

(Deepak Kumar Singh)
Additional Chief Secretary
to Government

ज्ञापांक:—08/अ0प्र0-14-13/2024 8357 पटना, दिनांक— 1-8-25
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:—08/अ0प्र0-14-13/2024 8357 पटना, दिनांक— 1-8-25
प्रतिलिपि—प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:—08/अ0प्र0-14-13/2024 8357 पटना, दिनांक— 1-8-25
प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-14-13/2024 8357 पटना, दिनांक- 1-8-25


प्रतिलिपि-माननीय मंत्री/अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव/
अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/
अभियंता प्रमुख/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण
अभियंता/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी प्रशाखा
पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-14-13/2024 8357 पटना, दिनांक- 1-8-25

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर मुख्य सचिव